



रोजाना एक प्रश्न



श्री यशवन्त कुमार जाँगिड अध्यापक
रा.प्रा.वि. जगदेवपुरा डांडा
प.स. - किशनगंज जिला - बाराँ

आज का टॉपिक



शालादर्पण पर ऑनलाइन उपस्थिति में किसी कार्मिक की उपस्थिति गलत भर दी गई तो क्या इस ऑनलाइन उपस्थिति में सुधार करना संभव है ? और यदि हां तो सुधार की पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाने का कष्ट करें।

शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति में गलती होने पर स्टॉफ दैनिक उपस्थिति में संशोधन हेतु मॉड्यूल CBEO लॉगइन पर प्रारंभ कर दिया गया है। दैनिक उपस्थिति में अपडेशन की चरणवार प्रक्रिया इस प्रकार है :

1. सर्वप्रथम उपस्थिति गलत दर्ज की सूचना एवं उपस्थिति में संशोधन बाबत एक पत्र सीबीईओ कार्यालय को भेजें।
2. इसके बाद सीबीईओ लॉगिन पर HELPDESK > STAFF ATTANDANCE UPDATION पर क्लिक करना होगा।
3. अब जिस दिनांक की उपस्थिति सही करनी है वह दिनांक दर्ज करें एवं Get Details पर क्लिक करें।
4. अब आपके सामने सभी स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी जिसमें से वांछित विद्यालय का चयन करें और स्कूल के नाम पर क्लिक करें।
5. अब आपके सामने उस विद्यालय के सभी कार्मिकों की सूची एवं उपस्थिति का विवरण आ जाएगा। आपके Action में वांछित कार्मिक के नाम पर चेकबॉक्स में ✓ करना है और To be Modified में सही उपस्थिति दर्ज करनी है।
6. अब आपको Select Staff whose Attendance is to be modified टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने, जिस कार्मिक की उपस्थिति में परिवर्तन किया गया है, उसकी डिटेल्स आ जाएगी।
7. अब आपको Modified Attendance पर क्लिक करना है और पॉपअप में Yes करना है। यह कार्य करते ही आपके सामने पॉपअप में All Staff Attendance saved successfully का मैसेज आ जाएगा।
8. अब आपको सीबीईओ लॉगिन एवं स्कूल लॉगिन में Monthly Attendance Report में सही उपस्थिति दिखाई देने लगेगी।

प्रक्रिया के संबंध में अन्य प्रमुख जानकारी

- ✓ कार्यालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.08.2021 के बिंदु संख्या 3(b) के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों की उपस्थिति उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से गत सात दिवस तक की अवधि एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की नियत दिवस से 8 दिवस तक की अवधि की उपस्थिति संबंधित ब्लॉक कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किये जाने / ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के यथोचित कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर सीबीईओ लॉगिन से प्रविष्ट की जा सकती है, परन्तु उक्त सुविधा एक माह में प्रारम्भिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए अधिकतम पांच बार एवं माध्यमिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए 8 बार ही उपलब्ध होगी।
- ✓ उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से गत 15 दिवस तक की विद्यालयों की उपस्थिति एवं ब्लॉक तथा जिला स्तरीय कार्यालयों की उपस्थिति की नियत दिवस से 23 दिवस तक की उपस्थिति संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय / कार्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किये जाने / ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर सीडीईओ लॉगिन से प्रविष्ट की जा सकती है, परन्तु उक्त सुविधा एक माह में एक विद्यालय / कार्यालय के लिए अधिकतम सात बार के लिए ही उपलब्ध होगी।

NOTE

उक्त सामग्री सामान्य जानकारी हेतु साथियों को उपलब्ध कराई गई है, जो राज्यादेशों और अन्य कारणों से असंगत हो सकती है, ऐसी स्थिति में राज्यादेश के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जावे, Paymanager Info समूह के सदस्य और rajsevak.com किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होंगे.